मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २७६/२०१७,
१. परमानंद गौतम तनय श्री धन्नू उर्फ धनीराम उम्र लगभग ४९ वर्ष
२. श्रीमती रामसखी पत्नी श्री परमानंद गौतम उम्र लगभग ४७वर्ष
३. कु. वंदना गौतम पुत्री श्री परमानंद गौतम उम्र लगभग १९ वर्ष
निवासीगण अंजनी नगर राजगढ़ थाना प्रेमनगर जिला झाँसी

---- याचीगण

प्रति

१. जगदीश प्रसाद वर्मा तनय श्री मन्नू लाल वर्मा नि. १६८८/२ए शिवाजी नगर डड़ियापुरा, झाँसी
.........वाहन मलिक वाहन सं. यू.पी.९३ ए टी ९७७९ डी.सी.एम.

२. सैंयद असद अली तनय श्री अहमद अली नि. तलैया मोहल्ला थाना कोतवाली, झाँसी
..........वाहन चालक वाहन सं. यू.पी. ९३ ए टी ९७७९

३. चोला मण्डलम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्रबन्धक चोला मण्डलम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड
.........बीमा कम्पनी वाहन सं. यू.पी.९३ ए टी ९७७९

---- विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता– श्री प्रमोद कुमार मिश्र
विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता–श्री सुनील शुक्ला

<u>०४.०३.२०२१</u>

पत्रावली पेश हुयी। याचीगण परमानंद गौतम, रामसखी एवं कु. वन्दना गौतम मय विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में छोटू उर्फ संजय की मृत्यु के कारण ₹३१,००,००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याचीगण एवं विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी की ओर से ४३बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को ४३बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा ४३बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। ४३बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹६,५०,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा ४३बी में दर्शित कुल **₹६,५०,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा ४३बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा ४३बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ४३बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹६,५०,००० (छैः लाख पचास हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी.कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर. टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याचीगण सं.१ लगायत ३ मृतक के पिता, माता एवं बहन हैं अतः वे उक्त प्रतिकर धनराशि में से क्रमशः ३५, ३५ व ३० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे तथा याचीगण को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत भाग प्रत्येक याची के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा याचीगण की शेष २५-२५ प्रतिशत भाग याचीगण अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेगें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.04 17:07:44 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi